भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4248

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2021/01 चैत्र, 1943 (शक) को दिया गया

बैंकों का एन.पी.ए.

4248. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्गीकृत गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में ऋण राशि कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एन.पी.ए. की वसूली दर का सरकारी क्षेत्र के बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एन.पी.ए. की वसूली में कमी आई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा एन.पी.ए की तेजी से वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल सकल अग्रिम, जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 18,19,074 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 52,15,920 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, कतिपय मामलों में इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी, आर्थिक मंदी इत्यादि के साथ आक्रामक उधार पद्धतियां हैं। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से एनपीए में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वापस ले लिया गया था। वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, पीएसबी का सकल एनपीए, जो दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 2,79,016 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 8,95,601 करोड़ रुपए हो गया तथा पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2020 को कम होकर 6,78,317 करोड़ रुपए हो गया। पीएसबी की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.12.2020 को यह और कम होकर 5,77,137 करोड़ रुपए हो गया है।

एनपीए की वसूली दर के ब्यौरे के संबंध में, आरबीआई ने सूचित किया है कि इसने बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए के संदर्भ में वसूली दर को निर्धारित नहीं किया है तथा इसके द्वारा उक्त के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

वसूली के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, पीएसबी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 77,563 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1,21,076 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1,08,635 करोड़ रुपए की वसूली की है।

सरकार ने जवाबदेह और स्वच्छ प्रणाली के लिए एनपीए की पारदर्शी पहचान, समाधान और दबावग्रस्त खातों से धन की वसूली, पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण और पीएसबी व व्यापक वित्तीय प्रणाली में सुधार की व्यापक कार्यनीति लागू की है। एनपीए को कम करने के लिए उठाए गए व्यापक कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के गठन के साथ ऋण संस्कृति में परिवर्तन होने से ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में मूलभूत बदलाव किया गया, चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण छीन लिया गया और समाधान प्रक्रिया से इरादतन चूककर्ताओं को प्रतिबंधित किया गया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2020 तक आईबीसी के तहत 277 मामलों में समाधान योजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिसमें वित्तीय लेनदारों द्वारा 1.89 लाख करोड़ रुपए की राशि वसूल की गयी है।

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा बंधक रखी संपत्ति पर उधारदाता द्वारा 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान है।

(3) उच्च मूल्य वाले मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए डीआरटी को सक्षम बनाने हेतु ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। वसूली को गति प्रदान करने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की स्थापना की गयी है।

(4) पिछले छः वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, पीएसबी द्वारा बाजार से इक्विटी और बॉन्ड दोनों के रूप में स्वयं 2.77 लाख करोड़ रुपए की निधियां जुटाकर और 36,226 करोड़ रुपए की सीमा तक गैर-कोर आस्तियों को मुद्रीकृत करने के साथ-साथ सरकार द्वारा पीएसबी में 3.24 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया है, ताकि पीएसबी एनपीए का प्रभावी समाधान करने में सक्षम बन सकें।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार एजेंडा के भाग के रूप में पीएसबी में किए गए मुख्य सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) बैंकों में चूक की रोकथाम ध्यानपूर्वक करने, वसूली प्रबंधन तथा बड़े मूल्य की दबावग्रस्त आस्ति के संबंध में समयबद्ध कार्रवाई के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल स्थापना की गई थी।

(ii) उच्च मूल्य वाले ऋणों की स्वीकृति और निगरानी की भूमिकाओं को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय तथा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है।

(iii) एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समयबद्ध और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आद्योपान्त (एंड टू एंड) ओटीएस प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।

*****